जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

पत्रांक......................

प्रेषक,

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
पटना, बिहार।

पूर्णियाँ/दिनांक............................।

विषयः— विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले के जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराये विभिन्न सेवाओं हेतु संलग्न रूचि की अभिरूचि विज्ञापन का प्रकाशन राज्य स्तरीय किन्हीं दो प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में जल्द से जल्द कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :— विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रारूप दो पन्नों में।

विश्वासभाजन

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1024 दिनांक 02/11/14

प्रतिलिपि :— जिला सूचना पदाधिकारी, विज्ञान एवं सूचना केन्द्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुरोधपूर्वक कहना है कि संलग्न विज्ञापन एवं मार्गदर्शिका को एन0आई0सी0 के वेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

रूचि की अभिव्यक्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/2 रेफरल अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति हेतु आवाज एवं धुआँ रहित तथा प्रदूषण मुक्त **जेनरेटर संचालन/आपूर्ति, भोजन, साफ–सफाई बाहरी कैम्पस एवं भर्त्ती मरीजों का वार्ड, कपड़ा धुलाई इत्यादि** करने हेतु गैर सरकारी संस्थानों/व्यक्तियों से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :–

निविदा एक बड़े सिल्ड लिफाफा जिस पर **'आउटसोर्सिंग सेवा हेतु निविदा 2012'** अंकित रहेगा के अन्दर दो सिल्ड लिफाफा रहेगा में देना होगा :–

1. पहला लिफाफा – जिस पर 'तकनीकि निविदा' अंकित रहेगा।
2. दूसरा लिफाफा – जिस पर 'वित्तीय निविदा' अंकित रहेगा।

वित्तीय निविदा उन्हीं निविदादाताओं का खुलेगा जिनका तकनीकि निविदा में सभी आवश्यक अभिलेख/कागजात संलग्न होने के साथ तकनीकी रूप से भी सक्षम होना चाहिए।

तकनीकि निविदा :– निम्नलिखित से सम्बंधित कागजात संलगन करना अनिवार्य होगा –

1. जेनरेटर, भोजन, साफ–सफाई एवं कपड़ा धुलाई करने का पूर्व कार्य अनुभव।
2. एन0जी0ओ0 का निबंधन प्रमाण पत्र एवं तीन वर्षों का ऑडिटेड प्रतिवेदन/व्यक्तिगत मामले में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव एवं विगत तीन वर्षो का सी0ए0 का आयकर रिर्टन।
3. पैन कार्ड
4. सदर अस्पताल के लिए वार्षिक टर्नओभर 10 लाख (दस लाख) से कम नहीं होना चाहिए – (Audit Report/I.T. Return देना होगा)। शेष अन्य संस्थानों के लिए 5 लाख (पाँच लाख) से कम नहीं होना चाहिए।
5. जमानत की राशि।

तकनीकि निविदा का मूल्यांकन निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	विवरणी	न्यूनतम अहर्त्ता	अधिकतम अंक	मूल्यांकन करने की विधि
1	कार्यअनुभव	कम से कम एक वर्ष	10	एक वर्ष – 5 अंक दो वर्ष – 7.5 अंक तीन वर्ष या अधिक – 10 अंक
2	वर्षिक टर्नओवर	सदर अस्पताल – 10 लाख	10	10 लाख – 5 अंक 20 लाख – 7.5 अंक 30 लाख या अधिक – 10 अंक
		अन्य संस्थान हेतु – 5 लाख		5 लाख – 5 अंक 10 लाख – 7.5 अंक 15 लाख या अधिक – 10 अंक
3	मशीन उपकरण	न्यूनतम अहर्त्ता – क्लिनिंग मशीन –2	10	2 मशीन – 5 अंक 4 मशीन – 7.5 अंक 8 मशीन – 10 अंक
4	प्रशिक्षित कर्मी	मार्गदर्शिका में वर्णित प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	10	सदर अस्पताल – 55 अनुमंडलीय अस्पताल– 21 रेफरल अस्पताल – 15 प्रा0 स्वा0 केन्द्र – 9

वित्तीय निविदा :– निम्न प्रोफार्मो में भरकर द्वितीय लिफाफा में रखकर भेजना होगा –

क्रम सं0	विवरण	सभी कर सहित दर (प्रति ईकाई)	
		अंको में	शब्दों में
1	दर 100 KVA आवाज रहित एवं प्रदूषण मुक्त का डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख रखाव सहित (प्रतिदिन में)		
2	दर 30 KVA आवाज रहित एवं प्रदूषण मुक्त का डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख रखाव सहित (प्रतिदिन में)		
3	दर 20 KVA आवाज रहित एवं प्रदूषण मुक्त का डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख रखाव सहित (प्रतिदिन में)		

4	साफ–सफाई (प्रति वर्ग मीटर)		
5	कपड़ा धुलाई (प्रति कपड़ा)		
6	भोजन (प्रति मरीज प्रतिदिन 50/– रू का)।	आवेदक निर्धारित मीनू के अनुरूप अपना मीनू अलग शीट में संलग्न करें।	

नोट :–

- **सभी आउटसोर्स सेवा से संबंधित आवेदन पत्र एवं विस्तृत मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय से** कार्यालय अवधि (10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक) में प्राप्त किया जा सकता है। अथवा जिले के **Website : Http:// www.purnea.bih.nic.co.in** से Download किया जा सकता है।
- निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15–11–12 संध्या 5:00 बजे अपराह्न तक जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ, प्रथम मंजिल विकास भवन, समाहरणालय परिसर, पूर्णियाँ में होगी।
- निविदा खोलने की तिथि दिनांक 16–11–12 को पूर्वाह्न 10:00 बजे होगा। निविदा जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में खोली जायेगी। इसमें निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भाग लेना अनिवार्य होगा। इनके अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकेगी।
- प्री–बिड बैठक दिनांक 10–11–12 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सिविल सर्जन के कार्यालय वेश्म, सदर अस्पताल परिसर में होगी, जिसमें सभी संभावित निविदादाता की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

220

जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित नियम एवं शर्ते।

1. स्वास्थ्य केन्द्रों की सफाई (अस्पताल के आंतरिक परिसर की सफाई)

क. स्वास्थ्य केन्द्रों की सफाई कार्य में सभी कमरें, वार्ड, बरामदा, शौचालय, दीवार के किनारे लगे टाइल्स, सभी फर्नीचर एवं उपकरण, लाइट, पंखें, खिड़कियों के किनारे लगे ग्रिल, दरवाजे के बाहर एवं अंदर का भाग, सीढ़ीयॉ, रेम्प इत्यादि शामिल है। सभी चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक की अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष गुणवत्ता पूर्ण रसायनों का प्रयोग कर साफ–सफाई का कार्य किया जाना।

ख. क्षेत्रफल की गणना में सफाई किये जा रहे भवनों का केवल, फर्स एवं टाईल्सयुक्त दीवार, का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापा जायेगा। किये गये क्षेत्रफल की गणना का अनुमोदन संबंधित रोगी कल्याण समिति से कराना आवश्यक होगा।

ग. सफाई निम्न प्रकार से की जानी है –
1. फर्श – लगातार सफाई की जानी है, किसी भी समय फर्श गन्दा नही होना चाहिए।
2. दिवाल – प्रतिदिन एक बार अनिवार्य रूप से
3. छत – सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से
4. खिड़की एवं दरवाजा – सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से

घ. जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0टी, स्नानघर, पैथोलॉजी, एक्स–रे रूम, सी0टी0 स्कैन रूम, स्टोर रूम, जंक रूम एवं पोस्ट मार्टम घर की सुविधा है, उन सभी जगहों की सफाई का कार्य करना होगा। अस्पताल कर्मियों के आवासीय क्वाटर में किसी भी परिस्थिति में सफाई नही की जायेगी।

ड. प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर के समानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थान पर निर्धारित तरीके से करना होगा।

च. मरीजों को ट्राली से पहुँचाना, वेड पेन एवं यूरेनल लगाना तथा पोस्ट मार्टम के पूर्व मृत शरीर को पोस्ट मार्टम घर में पहुँचाना तथा पोस्ट मार्टम के बाद मृत शरीर परिजनों को सौंपना।

छ. मरीजों के मल मूत्र, अवशिष्ट पदार्थों, रक्त की सफाई एवं गंदे कपड़ों को जमा कर निर्धारित स्थान पर पहुँचाना तथा बायोडिग्रेबल अवशिष्ट तथा नॉन–बायोडिग्रेबल अवशिष्ट को अलग–अलग रंग के बिन में संग्रह कर डिस्पोज करना होगा।

ज. सफाई का कार्य अनवरत 24 घंटे तक चलता रहेगा।

झ. दोनो FRU (सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा) एवं अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी हेतु आंतरिक परिसर सफाई हेतु मशीन (भेक्यूम क्लीनर, स्क्रवर ड्रॉयर वाटर प्रेशर मशीन तथा मॉप इत्यादि) का इस्तेमाल करना होगा।

ञ. 2 रेफरल अस्पताल (रूपौली एवं अमौर) एवं 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (कसबा, के0 नगर, श्रीनगर, जलालगढ़, डगरूआ, बायसी, बैसा, बी0 कोठी एवं भवानीपुर) में विद्युत चालित भेक्यूम क्लीनर तथा मेनूअल झाड़ू पोछा इत्यादि प्रयुक्त किया जायेगा।

ट. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे फ्लोर क्लीनर, फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मॉस्कीटो, कॉकरोच स्प्रे, शौचालय में नेफ्थलीन की गोली, शौचालय में बाल्टी एवं मग तथा प्रत्येक कमरे में रूम फ्रेशनर इत्यादि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(ठ) संवेदक द्वारा चिकित्सा संस्थान के आंतरिक परिसर में जगह–जगह पर डस्ट–बिन लगाना होगा। जिन

संस्थानों में पहले से डस्ट–बिन लगा हुआ है, वैसे डस्ट–बिन का अनुरक्षण, देखभाल, क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिस्थापन संवेदक को करना होगा।

(ड) चिकित्सक हेतु प्रयुक्त होने वाले शौचालय में एण्टी बैक्टेरियल साबुन एवं टीशू पेपर संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(ण) अस्पताल कर्मियों, मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता इत्यादि से संबंधित प्रेरित करने हेतु प्रेरक नारों का स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदर्शन जगह–जगह पर (जैसे– धुम्रपान निषेध, स्वच्छ आदतें एवं नागरिक कर्त्तव्य) प्रदर्शन बोर्ड लगाना होगा।

(त) भवन के छत–छज्जे पर जल जमाव को दूर करना एवं भवन पर उग आये पौधें को जड से सफाई करना।

(थ) दो FRU (सदर अस्पताल, पूर्णियॉ एवं अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा) एवं अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी के लेबर रूम में हैन्ड ड्रायर की स्थापना संवेदक को करना होगा।

(द) सभी सफाई कर्मी को ऐजेन्सी द्वारा प्रदत ड्रेस/यूनिफार्म में रहना अनिवार्य है। जिसपर कर्मी का नाम अंकित होगा। ऐजेन्सी प्रत्येक वार्ड में अपना नाम एवं मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से अंकित करेगा।

साफ सफाई हेतु निम्न संख्याओं में सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी आवश्यक है :–

DETAILS OF DEPLOYMENT OF VSW FOR PROVIDING SANITATION SERVICES AT SADAR HOSPITAL, PURNEA

Sl. No.	Area	Required No. of V.S.W		
		Morning	Evening	Night
1	OPD Block : Ortho Dept, Eye Dept., Nose Dept., Children Dept., Gyane Dept., Rooms, Corridor, Waiting Hall, Medicine Hall	2	0	0
2	Physiotherapy (Ortho), Dental, Medicine Center, Superintendent Office	1	0	0
3	C.M.O. Office, Corridor, Toilets	1	0	0
4	Children Ward, Corridor, Toilets	1	1	1
5	Post Cesarian wards, Emergency ward, Corridor, Toilets & Eye O.T	2	2	1
6	Ortho/Pediatrics &Surgical ward, 1st and 2nd, O.T Room	3	2	1
7	Male Medical ward, Room, Corridor and Toilets	2	1	1
9	Female Ward (Ground & 1st Floor) : Rooms, Corridor, Staircase and Toilets	4	2	2
11	I.C.U ward burn ward & Pathology, Ortho OT	3	3	2
12	Dialysis Unit	1	0	0
13	New Obsteric/Maternity Ward	1	1	1
	TOTAL	19	11	8
		38		
	TOTAL NO. OF SUPERVISORS	1	1	1
		3		

218

DETAILS OF DEPLOYMENT OF VSW FOR PROVIDING SANITATION SERVICES AT SDH, DHAMDAHA AND BANMANKHI				
Sl. No.	Area	Required No. of V.S.W		
		Morning	Evening	Night
1	OPD Block : Ortho Dept., Skin Dept., Eye Dept., Nose Dept., Children Dept., Gyane Dept., Rooms, Corridor, Waiting Hall, Medicine Hall	2	0	0
2	Physiotherapy (Ortho), Dental, Medicine Center, Superintendent Office	1	0	0
3	Surgical ward, O.T Room	2	1	1
4	Male Ward Medical ward, Room, Corridor and Toilets	1	1	1
5	Lab, X-ray Room, Toilets, Rooms, Corridor and Staircase	1	0	0
6	Lady Ward (Ground & 1st Floor) : Rooms, Corridor, Staircase and Toilets	1	1	1
	TOTAL	8	3	3
		14		
	TOTAL NO. OF SUPERVISORS	1	1	0
		2		

217

DETAILS OF DEPLOYMENT OF VSW FOR PROVIDING SANITATION SERVICES AT RH AMOUR, RUPOULI				
Sl. No.	Area	**Required No. of V.S.W**		
		Morning	**Evening**	**Night**
1	OPD Block Gyane Dept., Rooms, Corridor, Waiting Hall, Medicine Hall), Dental, Medicine Center, MOIC Office	2	0	0
2	Surgical Room, O.T Room, Lab, X-ray Room, Toilets, Rooms, Corridor and Staircase	2	1	0
3	Male Medical ward, Room, Corridor and Toilets, Female Rooms, Corridor, Staircase and Toilets	2	2	1
	TOTAL	6	3	1
		10		
	TOTAL NO. OF SUPERVISORS	1	1	0
		2		

DETAILS OF DEPLOYMENT OF VSW FOR PROVIDING SANITATION SERVICES AT PHC KASBA, K-NAGAR, SRINAGAR, JALALGARH, BHAWANIPUR, B-KOTHI, DAGARUA, BAISEE & BAISA				
Sl. No.	Area	**Required No. of V.S.W**		
		Morning	**Evening**	**Night**
1	OPD Block, Waiting Hall, Medicine Hall, Lab, X-ray Room, Toilets, Rooms, Corridor and Staircase, MOIC Office	2	0	0
2	Labor Room, Surgical Room, O.T Room, Indoor Ward	2	1	1
	TOTAL	4	1	1
		6		
	TOTAL NO. OF SUPERVISORS	1		

2. धुलाई

क. प्रत्येक बेड के बेडशीट, तकिया कवर, चारद आदि रोजाना धोना, आयरन करना और स्टार्च संवेदक को करना होगा।

ख. ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद संवेदक को करना होगा।

ग. चिकित्सकों एवं पारा–मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऐपरॉन एवं सिर्फ मेडिकल परिधानों की साफ–सफाई संवेदक को करनी होगी।

घ. कम्बल, पर्दा, तोशक आदि जब भी गंदा हो, की धुलाई संवेदक को करना होगा।

ड. सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति संवेदक को ही करनी होगी।

च. दो FRU (सदर अस्पताल, पूर्णियाँ, अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा) एवं अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी हेतु कपड़ों की सफाई हेतु अस्पताल परिसर में वासिंग मशीन (कॉमर्शियल) ही स्थापित कर प्रयुक्त किया जायेगा, इनके परिचालन हेतु विद्युत (मीटर चार्ज एवं जेनरेटर) की व्यवस्था संवेदक को करना होगा।

छ. धुलाई हेतु कपड़ों का लेखा–जोखा वार्ड इन्चार्ज/ओ0टी0 इन्चार्ज या अन्य अधिकृत अस्पताल कर्मी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित कर किया जायेगा।

ज. दैनिक रूप से धुलाई की जाने वाली कपड़ों की संख्या निम्न प्रकार अनुमानित हैं–

क्रमांक	संस्थान	संस्थान का नाम	प्रत्येक संस्थानों में अनुमानित कपड़ों की संख्या (प्रतिदिन)
1	सदर अस्पताल	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	320–340
2	अनुमडलीय अस्पताल	बनमनखी एवं धमदाहा	80–90
3	रेफरल अस्पताल	अमौर एवं रूपौली	40–50
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कसबा, जलालगढ़, बायसी, बैसा, के0 नगर, भवानीपुर, बी0 कोठी, डगरूआ, श्रीनगर	25–35

3. खान–पान

प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्तःवासी मरीजों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

क. सुबह के नास्ता में 6 पॉवरोटी, 1 अंडा, 200 मिली. दूध, मौसमी फल (जैसे–केला, सेव इत्यादि) 1 पीस।

ख. दोपहर में रोटी एवं चावल 150 ग्राम, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम (सूखी सब्जी) एवं भुंजिया।

ग. शाम में ग्लूकोज बिस्कुट 2 पीस, चाय 1 कप।

घ. रात में रोटी 4 पीस, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम।

ड. दो FRU (सदर अस्पताल, पूर्णियाँ एवं अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा) एवं अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी हेतु मरीजों को दोपहर तथा रात का खाना ट्रॉली से वितरित करना होगा ताकि खाना गर्म रहे।

च. दोपहर तथा रात का भोजन अस्पताल परिसर में ही पकाना होगा।

छ खाना पकाने हेतु गैस चूल्हा का ही प्रयोग करना होगा।

(ज) भोजन का समय निम्न प्रकार होगा –

नाश्ता : सुबह 7:30 बजे, दोपहर का खाना : 1:00 बजे अपराहन,
चाय एवं बिस्कुट : संध्या 5:00 बजे, रात्रि भोजन : रात 7:30 बजे।

4. जेनरेटर

क. स्थापित ध्वनिरहित जेनरेटर का Noise Limit 75 DBA at 1 M होना चाहिए।

ख. जेनरेटर सेट में समेकित एकॉस्टिक इनक्लोजर होना चाहिए।

ग. जेनरेटर के साथ डीलर द्वारा जारी टाईप अनुमोदन सर्टिफिकेट समर्पित करना होना। जेनरेटर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।

घ. जेनरेटर, हेतु तेल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी कार्य संस्था के जिम्मे होगा।

ड. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के लिये जेनरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए। अलग–अलग स्वास्थ्य संस्थानों के लिए बिजली की

215

औसत उपलब्धता के आधार पर दर कोट किया जा सकता है।

च. प्रत्येक पाइंट पर 220 भी0 से 240 भी0 तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।

छ. अस्पतालों के वायरिंग से छेड–छाड या समानान्तर वाइरिंग संवेदक द्वारा नही किया जा सकेगा।

ज. जेनरेटर से अस्पताल के मेन स्वीच तक वाईरिंग संवेदक को कराना होगा।

झ. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन परिचालन अवधि के गणना की सम्पुष्टि जेनरेटर से करने की व्यवस्था करेंगे।

ञ. जेनरेटर का कनेक्सान अस्पताल भवन, चिकित्सक कर्त्तव्य कक्ष, अस्पताल परिसर के पावर लाईट, स्टीट लाईट प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवासीय कार्यालय (यदि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का अस्पताल परिसर अंदर हो) में दिया जायेगा। जेनरेटर का कनेक्शन में अस्पताल के बाहर गैर सरकारी उद्देश्य से नही किया जायेगा। यदि विशेष परिस्थिति में कही अन्य जेनरेटर कनेक्शन की आवश्यकता है तो अस्थाई तौर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से लिखित आदेश के उपरान्त दिया जायेगा।

निम्न क्षमता के जेनरेटर की आपूर्ति की जानी है–

क्रमांक	संस्थान	संस्थान का नाम	प्रत्येक संस्थानों में निम्न क्षमताओं का जेनरेटर लगाया जाना है।
1	सदर अस्पताल	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	100 KVA
2	अनुमडलीय अस्पताल	बनमनखी एवं धमदाहा	30 KVA
3	रेफरल अस्पताल	अमौर एवं रूपौली	20 KVA
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कसबा, जलालगढ़, बायसी, बैसा, के0 नगर, भवानीपुर, बी0 कोठी, डगरूआ, श्रीनगर	20 KVA

5. अस्पताल का रख–रखाव तथा बाहरी परिसर की सफाई

क. अस्पताल के परिसर की पूरी सफाई करना।

ख. अस्पताल के परिसर के फूल पौधे की देख–भाल करना तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करना।

ग. संवेदक द्वारा समय–समय पर नये–नये फूल–पोधे इत्यादि लगाकर एक सुन्दर बगीचा तथा हर्बल बगीचा विकसित किया जायेगा तथा पौधों एवं खाद की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जायेगी।

घ. अस्पताल के बाहरी परिसर में लगे पेड़ों को समय–समय पर रंग–रोगन संवेदक को करना होगा।

ड. ऐसे संस्थान जहाँ अस्पताल का बाहरी दीवार से घेरा नही एवं लगाये गये पौधों को पशुओं द्वारा चर जाने की आशंका है, वहाँ वैसे संवेदक जिन्हें बाहरी परिसर की साफ–सफाई का कार्य आवंटित हुआ है, उनके द्वारा अस्पताल के आंतरिक परिसर में इन्डोर पौधे स्थापित करने होंगे एवं उनकी देखभाल करनी होगी।

च. सभी प्रकार के विभागीय वाहन एवं एम्बुलेंस (आउटसोर्स व्यवस्था के तहत चलने वाले एम्बुलेंस का छोडकर) की बाहरी धुलाई प्रतिदिन संवेदक को करनी होगी।

छ. अस्पताल के नालों आदि की सफाई जरूरत पड़ने पर करना।

ज. भवन से सटे परिसरों की सफाई एवं गन्दे सामानों को निर्धारित स्थानों पर फेकना तथा चुना गेमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउड़र का छिडकाव करना है।

झ. अस्पताल के बाहरी परिसर में दो अलग–अलग रंग के डस्ट बिन जिसका आकार 4 फीट से कम न हो, की स्थापना संवेदक को करनी होगी।

ञ. अस्पताल के बाहरी परिसर में अस्पताल कर्मियों, मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता इत्यादि से संबंधित प्रेरित करने तथा अस्पताल परिसर में लगाये गये पौधों को नष्ट नही करने हेतु प्रेरक नारों का स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदर्शन जगह–जगह पर (जैसे–धुम्रपान निषेध, स्वच्छ आदतें, वृक्ष एवं पौधों का महत्व तथा नागरिक कर्त्तव्य) प्रदर्शन बोर्ड लगाना होगा।

ट. अस्पताल के बाहरी परिसर में वेतरतीब लगाये गये दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से संवेदक द्वारा लगवाया जायेगा।

214

रख–रखाव हेतु श्रमिकों की संख्या –

क्रमांक	संस्थान	संस्थान का नाम	प्रत्येक संस्थानों में निम्न संख्याओं में श्रमिक की प्रतिनियुक्ति
1	सदर अस्पताल	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	10
2	अनुमंडलीय अस्पताल	बनमनखी एवं धमदाहा	5
3	रेफरल अस्पताल	अमौर एवं रूपौली	3
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कसबा, जलालगढ़, बायसी, बैसा, के0 नगर, भवानीपुर, बी0 कोठी, डगरूआ, श्रीनगर	2

6 परफारमेन्स सिक्यूरिटी –
ऐजेन्सीवार/कार्यवार निम्न विवरण के अनुरूप किसी निगोशिसेबुल इन्सट्रुमेंट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ के पास में जमा/गिरबी रखी गई हो भुगतान के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ में जमा करना होगा।

क्रमांक	संस्थान	संस्थान का नाम	प्रत्येक संस्थान हेतु परफारमेन्स सिक्यूरिटी की राशि (एक या सभी कार्यों के लिए)
1	सदर अस्पताल	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	2,00,000.00 (दो लाख) रू/–
2	अनुमंडलीय अस्पताल	बनमनखी एवं धमदाहा	1,00,000.00 (एक लाख) रू/– प्रति–ईकाई
3	रेफरल अस्पताल	अमौर एवं रूपौली	50,000.00 (पचास हजार) रू/– प्रति–ईकाई
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कसबा, जलालगढ़, बायसी, बैसा, के0 नगर, भवानीपुर, बी0 कोठी, डगरूआ, श्रीनगर	25,000.00 (पच्चीस हजार) रू/– प्रति–ईकाई

7 निविदा स्वीकृत होने पर 100 रू/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर संबंधित रोगी कल्याण समिति के साथ एकरारनामा करना होगा। जिसका प्रारूप जिला स्वास्थ्य समिति में देखा जा सकता है।

8 निविदा सिर्फ निबंधित डाक से प्राप्त की जा सकेगी तथा जिला स्वास्थ्य समिति, विकास भवन, समाहरणालय परिसर पूर्णियाँ के पता पर प्राप्त की जा सकेगी। हाथों–हाथ या कोरियर से निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9 निविदा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इच्छुक व्यक्ति दूरभाष संख्या 9473191892 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10 निविदादाता अपना पूरा पता/दूरभाष संख्या, मोबाइल नं0 एवं निविदा के सजायाफ्ता नहीं होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करेंगे।

11 जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ को निविदा को अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12 जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि सभी संस्थाओं के लिए एक ही फर्म को या अलग–अलग ईकाई का न्यूनतम दर स्वीकृत करे। एक संस्थान के लिए सभी कार्य निर्धारित न्यूनतम दर पर एक ही फर्म/व्यक्ति को दिया जा सकता है।

13 न्यूनतम दर का अर्थ जेनरेटर चलाने के लिए वह दर उक्त कार्य का गुणवत्ता बरकरार रखते हुए किया जा सके। अति न्यूनतम दर पर निविदा प्राप्त कर असंतोषजनक कार्य करने या कार्य छोड़ देने की स्थिति में सिक्यूरिटी मनी सोख्त कर ली जायेगी तथा काली सूची में नाम डाल दी जायेगी।

14 डीजल के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर दर कोट करें। निर्धारित दर अगले तीन वर्षो के लिए मान्य होगी।

15 पूर्व में असंतोषजनक कार्य करने वाले व्यक्ति/फर्म के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

16 **किसी भी प्रकार के औचक जॉच या निरीक्षण के क्रम में यह पाया जायेगा कि अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है तो संबंधित ऐजेन्सी/व्यक्ति के एक माह का भुगतान दण्डस्वरूप काट लिया जायेगा। एक माह में तीन बार ऐसे दण्ड प्राप्त करने वाले ऐजेन्सी के एकरारनामा को समाप्त कर दी जायेगी एवं उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा।**

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णियाँ